कार्यालय प्राचार्य, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर, गढ़वाल (उत्तराखण्ड)।

(फैक्स नं0–01346–244702, टेलीफोन नं0–01346–244701, email-principalvcsg@gmail.com)

पंत्राकः–4771 / मे0का0श्री0 / अधि0–1 / ज्येष्ठता सूची0 / 2024–25 दिनांकः27 फरवरी 2025

–: कार्यालय आदेश :–

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संः– 275068/XXVIII(5)/2025(e-63451) दिनांक 12 फरवरी 2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संः– 251287 दिनांक 01 नवम्बर 2024 के माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत 40 प्रोफेसरों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की गयी थी। अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में दर्शित कतिपय संकाय सदस्यों द्वारा की गई आपत्तियों के कम में निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त अपने पत्र संः– 5419 / चि0शि0 / 03(मेडिकल) / 197 / 2015 दिनांक 18 नवम्बर 2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गई आख्यानुसार अनन्तिम ज्येष्ठता सूची ज्येष्ठता के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों का अन्तिम रूप से निस्तारण किया गया है।

ज्येष्ठता कमांक 01 से 20 तक के प्रोफेसरों, जो पदोन्नति कोटे के हैं, की ज्येष्ठता को शासनादेश संः– 1278 दिनांक 16.10.2017 के माध्यम से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर निर्गत उनकी ज्येष्ठता सूची के अनुसार ही यथावत् रखा गया है तथा ज्येष्ठता कमांक 21 से 40 तक पर अंकित प्रोफेसर राजकीय मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित है एवं उनकी ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–8 तथा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम–24 में उल्लिखित प्राविधानों के आधार पर अन्तिम रूप से पत्र के साथ संलग्न **परिशिष्ट–क** के अनुसार निर्गत की गयी है।

अतः उक्त ज्येष्ठता सूची से अवगत होना चाहें।

प्राचार्य
वी0च0सिं0ग0रा0आर्यु0एवं शो0सं0
श्रीनगर गढ़वाल

पत्रांक :–4771 / मे0का0श्री0 / अधि0–1 / ज्येष्ठता सूची / 2024–25 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष, वी0च0सिं0ग0रा0आर्यु0शो0सं0 श्रीनगर गढ़वाल।
2. सम्बन्धित समस्त संकाय सदस्य।
3. कम्प्यूटर सैल, वी0च0सिं0ग0रा0आर्यु0शो0सं0 श्रीनगर गढ़वाल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन द्वारा निर्गत उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची को संस्थान की अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्राचार्य
वी0च0सिं0ग0रा0आर्यु0एवं शो0सं0
श्रीनगर गढ़वाल

Issued (निर्गत) 12/02/2025
Section Officer (अनुभाग अधिकारी)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5
संख्या– 275068 /XXVIII(5)/2025(e-63451)
देहरादूनः दिनांक 12 फरवरी, 2025

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या 251287/XXVIII(5)/2024(63451), दिनांक 04 नवम्बर, 2024 द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत 40 प्रोफेसरों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की गयी तथा सम्बन्धित मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यो द्वारा अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित करते हुए, अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का नियमित संकाय सदस्यों के मध्य परिचालन करते हुए 15 दिनों के भीतर आपत्तियॉ प्राप्त कर आपत्तियों का अभिलेख सहित निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

2– अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में दर्शित कतिपय संकाय सदस्यों द्वारा की गई आपत्तियों के क्रम में निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा परीक्षणोंपरान्त अपने पत्र संख्या 5419/चि0शि0/03(मेडिकल)/197/2015, दिनांक 18 नवम्बर, 2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गई आख्यानुसार अनन्तिम ज्येष्ठता सूची ज्येष्ठता के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों का अन्तिम रूप से निस्तारण निम्नवत् हैः–

क्र0स0	आपत्तिकर्ता का नाम, पदनाम एवं विभाग	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	आपत्ति का निस्तारण
1.	डॉ0 चन्द्रमोहन सिंह रावत	प्रोफेसर के पद पर योगदान की तिथि में दिनांक 14.09.2021 के स्थान पर 01.11.2017 किये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।	आपत्ति ग्राह्य करते हुए उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर योगदान की तिथि दिनांक 01.11.2017 अंकित कर दी गयी है। उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
2.	डॉ0 अरविन्द कुमार सिंह	वर्तमान तैनाती स्थल रा0मे0का0 देहरादून को रा0मे0का0 अल्मोड़ा किये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।	आपत्ति ग्राह्य करते हुए उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर तैनाती में यथा परिवर्तन करते हुए उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
3.	डॉ0 पंकज सिंह	नियुक्ति की तिथि 25.10.2018 के स्थान पर दिनांक 31.10.2017 एवं योगदान की तिथि 31.10.2017 के स्थान पर 25.10.2018 अंकित किये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।	आपत्ति ग्राह्य करते हुए उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति एवं योगदान की तिथि सही अंकित कर दी गयी है। उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
4.	डॉ0 भावना श्रीवास्तव	नियुक्ति की तिथि 25.10.2018 के स्थान पर दिनांक 31.10.2017 एवं योगदान की तिथि 31.10.2017 के स्थान पर 25.10.2018 अंकित किये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।	आपत्ति ग्राह्य करते हुए उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति एवं योगदान की तिथि सही अंकित कर दी गयी है। उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
5.	डॉ0 राम गोपाल नौटियाल	योगदान की तिथि 04.11.2017 के स्थान पर दिनांक 02.11.2017 अंकित किये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।	आपत्ति ग्राह्य करते हुए उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर योगदान की तिथि दिनांक 02.11.2017 अंकित कर दी गयी है। उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
6.	डॉ0 गीता भण्डारी	जन्मतिथि 26.06.1976 के स्थान पर दिनांक 26.06.1974 अंकित किये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।	आपत्ति ग्राह्य करते हुए उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर जन्मतिथि दिनांक 26.06.1974 अंकित कर दी गयी है। उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
7.	डॉ0 महेन्द्र कुमार पन्त	नाम में डॉ0 एम0के0पन्त के स्थान पर डॉ0 महेन्द्र कुमार पन्त अंकित किये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।	प्रत्यावेदक की आपत्ति ग्राहय पायी गयी है। अतः प्रत्योवदक का नाम डॉ0 एम0के0पन्त के स्थान पर डॉ0 महेन्द्र कुमार पन्त अंकित कर दिया गया है।

6.	डॉ0 नवीन चन्द्र (अनन्तिम ज्येष्ठता क्रमांक 10)	मौलिक नियुक्ति चिकित्सा शिक्षा में सहायक प्राध्यापक के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित रूप से हुई है। साथ ही प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी को प्रोफेसर के पद पर स्थायी नियुक्ति के पश्चात वरिष्ठता के मुद्दे पर फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की आजादी दी है। (W.P-182/2013 S/B)	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 01 से 20 तक के प्रोफसरों, जो पदोन्नति कोटे के हैं, की ज्येष्ठता सूची शासनादेश संख्या 1278 दिनांक 16.10.2017 के माध्यम से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर निर्गत ज्येष्ठता सूची के अनुसार ही यथावत् रखते हुए उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। साथ ही उनके द्वारा स्वयं का वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
2.	डॉ0 साधना अवस्थी (अनन्तिम ज्येष्ठता क्रमांक 28)	शासन द्वारा वरिष्ठता सूची में उनका नाम क्रमांक 28 पर अंकित है जबकि वे क्रमांक 21 से 27 तक के संकाय सदस्यों से ज्येष्ठ है और संस्थान में वर्ष 2005 से नियमित पद पर कार्यरत है एवं शासन द्वारा उनकी पूर्व की सेवाओं को जोड़ दिया गया है।	प्रत्यावेदक पूर्व में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त थी तथा बाद में इनका चयन सीधी भर्ती के माध्यम से प्रोफेसर के पद पर हुआ है। उक्त पद पर नयी भर्ती होने के दृष्टिगत वरिष्ठता के क्रम में उनकी पूर्व सेवाओं की गणना नही की जा सकती है। उसी क्रम में क्रमांक–21 से 37 तक सीधी भर्ती के माध्यम से प्रोफेसर के पद पर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित प्रोफेसरों के नाम अंकित हैं। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में उनका ज्येष्ठता क्रमांक 01 है। चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित मेरिट से जिस स्थान पर है उन्हें उसी क्रम में रखा गया है ना कि उक्त क्रमांक को अवक्रमित किया गया है। 25 विभागों की एक वरिष्ठता सूची बनाये जाने पर उन्हे चक्रानुक्रम में वरिष्ठता क्रमांक 28 पर रखा गया है। प्रोफेसरों के विभागवार वरिष्ठता का आधार बोर्ड की प्रवीणता सूची तथा उनकी जन्मतिथि को आधार मानते हुए प्रथम चक्र में प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है तथा जिन विभागों में एक से अधिक कार्मिकों का चयन हुआ है उनमें शेष की वरिष्ठता पुनः दूसरे चरण में इसी आधार पर निर्धारित की गयी है। सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा स्वयं का वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा, का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है। 6
3.	डॉ0 हरि शंकर पाण्डेय (अनन्तिम ज्येष्ठता क्रमांक 29)	ज्येष्ठता सूची बनाये जाने सहित कतिपय संकाय सदस्यों की योगदान की तिथि उनकी प्रोफेसर पद पर नियुक्ति से पूर्व की तिथि अंकित है।	अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 01 से 20 तक के प्रोफसरों, जो पदोन्नति कोटे के हैं, की ज्येष्ठता सूची शासनादेश संख्या 1278 दिनांक 16.10.2017 के माध्यम से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर निर्गत ज्येष्ठता सूची के अनुसार ही यथावत् रखी गयी है। अतः उनकी

			आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है। उक्त संकाय सदस्य का चयन सीधी भर्ती के माध्यम से प्रोफेसर के पद पर हुआ है तथा उनके द्वारा स्वयं की वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
4.	डॉ0 ए0एन0 सिन्हा (अनन्तिम ज्येष्ठता क्रमांक 31)	**(1)** शा0 के कार्यालय ज्ञाप में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम 24 एवं ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली, 2003 के नियम 8(1) तथा नियम 8(2)(क) में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लेख किया गया है तथा उत्तराखण्ड ज्येष्ठता नियमावली 2002 वर्ष प्रख्यापित हो गई थी तथा उक्त की संशोधित नियमावली अर्थात उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (संशोधित) नियमावली, 2024 में प्रख्यापित की जा चुकी है।	ज येष्ठता निर्धारण नियमावली, 2003 के नियम 8(1) में उस पद/संवर्ग में जहां नियुक्तियां सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति द्वारा की जाएं ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति की तिथि से अवधारित किये जाने का प्राविधान है तथा नियम 8(2)(क) में पोषक पद/संवर्ग ज्येष्ठता सूची में दिए गए क्रम के अनुसार निर्धारित की गयी है। यदि किसी संकाय सदस्य द्वारा पूर्व में किसी विभाग में सेवा की गयी है, तो उसकी गणना भी वरिष्ठता क्रमांक में नहीं की जा सकती है।
		(2) उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (संशोधित नियमावल, 2024 नियम 4 (झ) के अनुसार वर्ष/चयन वर्ष का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है। परिचालित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्र0स0 21 से 39 तक वर्णित संकाय सदस्य एक ही चयन वर्ष तथा एक ही परीक्षा परिणाम से चयनित होकर नियुक्त हुये है तद्ननुसार क0स0 31 पर वर्णन आपत्तिजनक है।	सीधी भर्ती के माध्यम से प्रोफेसर के पद पर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित प्रोफेसरों के नाम अंकित हैं। फिजियोलॉजी विभाग में उनका ज्येष्ठता क्रमांक 01 है। चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित मेरिट से जिस स्थान पर है उन्हें उसी क्रम में रखा गया है ना कि उक्त क्रमांक को अवक्रमित किया गया है। 25 विभागों की एक वरिष्ठता सूची बनाये जाने पर उन्हे चक्रानुक्रम में वरिष्ठता क्रमांक 31 पर रखा गया है। क्रमांक–21 से 37 तक सीधी भर्ती के प्रोफेसर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित हैं। प्रोफेसरों के विभागवार वरिष्ठता का आधार बोर्ड की प्रवीणता सूची तथा उनकी जन्मतिथि को आधार मानते हुए प्रथम चक्र में प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है तथा जिन विभागों में एक से अधिक कार्मिकों का चयन हुआ है उनमें शेष की वरिष्ठता पुनः दूसरे चरण में इसी आधार पर निर्धारित की गयी है। साथ ही सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा स्वयं का वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा? का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
		(3) कार्यालय ज्ञाप उत्तराखण्ड	क्रमांक–21 से 37 तक सीधी भर्ती के प्रोफेसर

		शासन के अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण हेतु उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम 24 का उल्लेख किया गया है। नियम 24(1) में उल्लेखित है परन्तु यह कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाये तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 17 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये। नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हों। नियम 17 चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया है। नियम–24 (2) में स्पष्टतः उल्लिखित है कि किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जैसा आयोग द्वारा आधारित की जाए।	चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित प्रोफेसरों के नाम अंकित हैं। प्रोफेसरों के विभागवार वरिष्ठता का आधार आयोग की प्रवीणता सूची तथा उनकी जन्मतिथि को आधार मानते हुए प्रथम चक्र में प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है तथा जिन विभागों में एक से अधिक कार्मिकों का चयन हुआ है उनकी वरिष्ठता पुनः दूसरे चरण में इसी आधार पर निर्धारित की गयी है। साथ ही सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा स्वयं का वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा? का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
		(4) उत्तराखण्ड ज्येष्ठता (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 8 उपनियम (2) में स्पष्टतः वर्णित है किसी एक चयन वर्ष में चयन के परिणामस्वरूप (क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो चयन बोर्ड द्वारा योग्यता सूची के अवलोकन उपरान्त स्पष्ट होता है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची उपरोक्त (बिन्दु संख्या 3 एवं 4) के अनुसार नहीं है एवं आपत्ति है।	क्रमांक–21 से 37 तक सीधी भर्ती के प्रोफेसर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित हैं। प्रोफेसरों के विभागवार वरिष्ठता का आधार आयोग की प्रवीणता सूची तथा उनकी जन्मतिथि को आधार मानते हुए प्रथम चक्र में प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है तथा जिन विभागों में एक से अधिक कार्मिकों का चयन हुआ है उनमें शेष की वरिष्ठता पुनः दूसरे चरण में इसी आधार पर निर्धारित की गयी है। साथ ही सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा स्वयं का वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा, का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
		(5) उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप द्वारा परिचालित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के बिन्दु संख्या 2 में क्र0स0 21 से 40 तक की उल्लेखित संकाय सदस्यों की ज्येष्ठता का निर्धारण कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तथा जन्मदिन के अधार पर किया गया है। उक्त ज्येष्ठता निर्धारण व्यवस्था का उल्लेख उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2014, उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (संशोधन) नियमावली, 2024 में नही है।	क्रमांक–21 से 37 तक सीधी भर्ती के प्रोफेसर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित प्रोफेसरों के नाम अंकित हैं। प्रोफेसरों के विभागवार वरिष्ठता का आधार आयोग की प्रवीणता सूची तथा उनकी जन्मतिथि को आधार मानते हुए प्रथम चक्र में प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है तथा जिन विभागों में एक से अधिक कार्मिकों का चयन हुआ है उनमें शेष की वरिष्ठता पुनः दूसरे चरण में इसी आधार पर निर्धारित की गयी है। साथ ही सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा स्वयं का वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा, का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति

			को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
		(6) उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप द्वारा परिचालित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के बिन्दु संख्या 02 में क्र0स0 21 से 40 तक की उल्लेखित संकाय सदस्यों की ज्येष्ठता का निर्धारतण कार्यभार ग्रहण करने की तिथि व जन्मतिथि के आधार पर किया गया है। उक्त ज्येष्ठता निर्धारण व्यवस्था का उल्लेख उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2014, उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (संशोधन) नियमावली, 2024 में नही है।	क्रमांक–21 से 37 तक सीधी भर्ती के प्रोफेसर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित हैं। प्रोफेसरों के विभागवार वरिष्ठता का आधार चयन बोर्ड की प्रवीणता सूची तथा उनकी जन्मतिथि को आधार मानते हुए प्रथम चक्र में प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है तथा जिन विभागों में एक से अधिक कार्मिकों का चयन हुआ है उनकी वरिष्ठता पुनः दूसरे चरण में इसी आधार पर निर्धारित की गयी है। साथ ही सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा स्वयं का वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा? का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
		(7) उत्तराखण्ड शासन द्वारा पूर्व में जारी राजकीय मेडिकल में कार्यरत नियमित असिस्टेन्ट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसरों की ज्येष्ठत सूची कार्यलय ज्ञाप संख्या 199399, दिनांक 15 मार्च, 2024 एवं 199378, दिनांक 15 मार्च, 2024 उत्तराखण्ड सरकारी सेवक निमावली 2002 के नियम 8 तथा उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा निमयावली, 2014 के आवश्यकीय है।	अवगत कराना है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 199378, दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर के पद हेतु निर्गत ज्येष्ठता सूची पोषक पद/संवर्ग असिस्टेन्ट प्रोफेसर की ज्येष्ठता सूची में दिए गए क्रम में निर्धारित की गई है। कार्यालय ज्ञाप संख्या 199378, दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर के पद हेतु निर्गत ज्येष्ठता सूची वर्ष 2019 में उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा सूची चयनित अभ्यर्थियों में प्रवीणता के आधार पर निर्धारित की गयी है।
5.	डॉ0 दया कृष्ण (अनन्तिम ज्येष्ठता क्रमांक 35)	(1) नाम में डॉ0 दया कृष्ण टम्टा के स्थान पर डॉ0 दया कृष्ण अंकित किये जाने हेतु	प्रत्यावेदक की आपत्ति ग्राहय पायी गयी है। अतः प्रत्योवदक का नाम डॉ0 दया कृष्ण टम्टा के स्थान पर डॉ0 दया कृष्ण अंकित कर दिया गया है।
		(2) अनन्तिम वरिष्ठताा सूची में क्र0स0 28 से 33 पर विद्यमान प्रोफेसरों के कार्यग्रहण की तिथि मेरे बाद की है पर वरिष्ठता सूची में वो मुझसे ऊपर है, इनका क्या आधार है?	सीधी भर्ती के माध्यम से प्रोफेसर के पद पर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित है। ऑर्थोपेडिक्स विभाग में ज्येष्ठताा क्रमांक डॉ0 अनिल जोशी क्रमांक 01 पर तथा डॉ0 दया कृष्ण ज्येष्ठता क्रमांक 02 है तथा चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित मेरिट से जिस स्थान पर है उन्हें उसी क्रम में रखा गया है ना कि उक्त क्रमांक को अवक्रमित किया गया है। 25 विभागों की एक वरिष्ठता सूची बनाये जाने पर उन्हे चक्रानुक्रम में वरिष्ठता क्रमांक 35 पर रखा गया है। क्रमांक–21 से 37 तक सीधी भर्ती के प्रोफेसर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित हैं। प्रोफेसरों के विभागवार वरिष्ठता का आधार आयोग की प्रवीणता सूची तथा उनकी जन्मतिथि को आधार मानते हुए प्रथम चक्र में प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए

			चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है तथा जिन विभागों में एक से अधिक कार्मिकों का चयन हुआ है उनमे शेष की वरिष्ठता पुनः दूसरे चरण में इसी आधार पर निर्धारित की गयी है। अतः आर्थोपेडिक्स विभाग के डॉ0 अनिल जोशी को ज्येष्ठता क्रमांक 23 पर तथा डॉ0 दया कृष्ण को ज्येष्ठता क्रमांक 35 पर रखा गया है। साथ ही सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा स्वयं का वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा, का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
		(3) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एक होने पर जन्मतिथि को आधार माना गया है चक्रानुक्रम में तो वरिष्ठता सूची क्र0स0 21 से 32 पर विद्यमान प्रोफेसर मुझसे वरिष्ठता क्रम में ऊपर है जबकि उनकी जन्मतिथि मेरी जन्मतिथि 01.01.1973 के बाद है।	क्रमांक–21 से 37 तक सीधी भर्ती के प्रोफेसर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित प्रोफेसरों के नाम अंकित हैं। प्रोफेसरों के विभागवार वरिष्ठता का आधार चयन बोर्ड की प्रवीणता सूची तथा उनकी जन्मतिथि को आधार मानते हुए प्रथम चक्र में प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है तथा जिन विभागों में एक से अधिक कार्मिकों का चयन हुआ है उनकी वरिष्ठता पुनः दूसरे चरण में इसी आधार पर निर्धारित की गयी है। साथ ही सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा स्वयं का वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा? का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
		(4) ऑर्थोपेडिक विभाग में चक्रानुक्रम में जन्मतिथि के हिसाब से मेरी क्रम ऊपर होना चाहिए। क्योंकि ऑर्थोपेडिक विभाग में प्रथम चक्र में क्र0स0 27 वरिष्ठता संख्या पर विद्यमान प्रोफेसर की जन्मतिथि 1975 है जबकि मेरी 1973 है।	वर्ष 2020 के उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परीणाम/श्रेष्ठता सूची में आर्थोपेडिक्स विभाग हेतु चयनित अभ्यर्थियों में क्रमांक 01 पर डॉ0 अनिल जोशी का नाम अंकित है। अतः कार्मिक विभाग की उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–8 एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम–24 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन इनकी की ज्येष्ठता पोषक संवर्ग के आधार पर निर्धारित की गई है, जो कि नियामानुसार ठीक है। दक्रमांक–21 से 37 तक सीधी भर्ती के प्रोफेसर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित हैं। प्रोफेसरों के विभागवार वरिष्ठता का आधार बार्ड की प्रवीणता सूची तथा उनकी जन्मतिथि को आधार मानते हुए प्रथम चक्र में प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है तथा जिन विभागों में एक से अधिक कार्मिकों का चयन हुआ है उनमें शेष की वरिष्ठता पुनः दूसरे चरण में इसी आधार पर निर्धारित की गयी

			है। साथ ही सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा स्वयं का वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा, का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
		(5) आयोग द्वारा चयनित प्रोफेसर की कोई भी सम्मलित योग्यता सूची जारी नहीं की गयी है जिसमें साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का विवरण दिया गया हो केवल विभागावार वर्णाक्रम के अनुसार विवरण दिया गया है, जिसमें योग्यता सूची का निर्धारण स्पष्ट नहीं है कृपया इस सम्बन्ध में भी स्पष्टता रखते हुए आयोग द्वारा चयनित सभी प्रोफेसरों की सम्मलित योग्यता सूची अर्जित अंको सहित सार्वजनिक करें।	सीधी भर्ती के प्रोफेसर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित हैं। चिकित्सा चयन बोर्ड के द्वारा नियत क्रमांक के अनुसार ही प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है।
6.	डॉ0 भावना पन्त, ई0एन0टी0 (अनन्तिम ज्येष्ठता क्रमांक 36)	(1) शा0 के कार्यालय ज्ञाप में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम 24 एवं ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली, 2003 के नियम 8(1) तथा नियम 8(2)(क) में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लेख किया गया है तथा उत्तराखण्ड ज्येष्ठता नियमावली 2002 वर्ष प्रख्यापित हो गई थी तथा उक्त की संशोधित नियमावली अर्थात उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (संशोधित) नियमावली, 2024 में प्रख्यापित की जा चुकी है।	ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली, 2003 के नियम 8(1) में उस पद/संवर्ग में जहां नियुक्तियां सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति द्वारा की जाएं ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति की तिथि से अवधारित किये जाने का प्राविधान है तथा नियम 8(2)(क) में पोषक पद/संवर्ग ज्येष्ठता सूची में दिए गए क्रम के अनुसार निर्धारित की गयी है।
		(2) उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (संशोधित नियमावल, 2024 नियम 4 (झ) के अनुसार वर्ष/चयन वर्ष का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है। परिचालित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्र0स0 21 से 39 तक वर्णित संकाय सदस्य एक ही चयन वर्ष तथा एक ही परीक्षा परिणाम से चयनित होकर नियुक्त हुये है तद्ननुसार क्र0स0 36 पर वर्णन आपत्तिजनक है।	वर्ष 2020 के उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परीणाम/श्रेष्ठता सूची में ई0एन0टी0 विभाग हेतु चयनित अभ्यर्थियों में क्रमांक 01 पर डॉ0 रविन्द्र सिंह बिष्ट का नाम तथा क्रमांक 02 पर डॉ0 भावना पंत का नाम अंकित है। चयन आयोग द्वारा निर्धारित मेरिट से जिस स्थान पर है उन्हें उसी क्रम में रखा गया है ना कि उक्त क्रमांक को अवक्रमित किया गया है। 25 विभागों की एक वरिष्ठता सूची बनाये जाने पर उन्हे चक्रानुक्रम में वरिष्ठता क्रमांक 36 पर रखा गया है। क्रमांक–21 से 37 तक सीधी भर्ती के प्रोफेसर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित प्रोफेसरों के नाम अंकित हैं। प्रोफेसरों के विभागवार वरिष्ठता का आधार बोर्ड की प्रवीणता सूची तथा उनकी जन्मतिथि को आधार मानते हुए प्रथम चक्र में प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है तथा जिन विभागों में एक से अधिक कार्मिकों का चयन

			हुआ है उनमें शेष की वरिष्ठता पुनः दूसरे चरण में इसी आधार पर निर्धारित की गयी है। इसी क्रम में ई0एन0टी0 विभाग के डॉ0 रविन्द्र सिंह बिष्ट को ज्येष्ठता क्रमांक 26 पर तथा डॉ0 भावना पंत को ज्येष्ठता क्रमांक 36 पर रखा गया है। साथ ही सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा स्वयं का वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा, का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
		(3) कार्यालय ज्ञाप उत्तराखण्ड शासन के अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण हेतु उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम 24 का उल्लेख किया गया है। नियम 24(1) में उल्लेखित है परन्तु यह कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाये तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 17 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये। नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हों। नियम 17 चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया है। नियम–24 (2) में स्पष्टतः उल्लिखित है कि किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जैसा आयोग द्वारा आधारित की जाए।	क्रमांक–21 से 37 तक सीधी भर्ती के प्रोफेसर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित प्रोफेसरों के नाम अंकित हैं। प्रोफेसरों के विभागवार वरिष्ठता का आधार बोर्ड की प्रवीणता सूची तथा उनकी जन्मतिथि को आधार मानते हुए प्रथम चक्र में प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है तथा जिन विभागों में एक से अधिक कार्मिकों का चयन हुआ है उनमें शेष की वरिष्ठता पुनः दूसरे चरण में इसी आधार पर निर्धारित की गयी है। साथ ही सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा स्वयं का वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा, का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
		(4) उत्तराखण्ड ज्येष्ठता (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 8 उपनियम (2) में स्पष्टतः वर्णित है किसी एक चयन वर्ष में चयन के परिणामस्वरूप (क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो चयन बोर्ड द्वारा योग्यता सूची के अवलोकन उपरान्त स्पष्ट होता है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची उपरोक्त (बिन्दु संख्या 3 एवं 4) के अनुसार नहीं है एवं आपत्ति है।	सीधी भर्ती के प्रोफेसर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित हैं। चिकित्सा चयन बोर्ड के द्वारा नियत क्रमांक के अनुसार प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है।
		(5) उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप द्वारा परिचालित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के बिन्दु संख्या 2 में क्र0स0 21 से 40 तक की उल्लेखित संकाय सदस्यों की ज्येष्ठता का	क्रमांक–21 से 37 तक सीधी भर्ती के प्रोफेसर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित प्रोफेसरों के नाम अंकित हैं। प्रोफेसरों के विभागवार वरिष्ठता का आधार आयोग की प्रवीणता सूची तथा उनकी जन्मतिथि को

		निर्धारण कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तथा जन्मदिन के आधार पर किया गया है। उक्त ज्येष्ठता निर्धारण व्यवस्था का उल्लेख उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2014, उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (संशोधन) नियमावली, 2024 में नही है।	आधार मानते हुए प्रथम चक्र में प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है तथा जिन विभागों में एक से अधिक कार्मिकों का चयन हुआ है उनमें शेष की वरिष्ठता पुनः दूसरे चरण में इसी आधार पर निर्धारित की गयी है। साथ ही सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा स्वयं का वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा, का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
		(6) उत्तराखण्ड शासन द्वारा पूर्व में जारी राजकीय मेडिकल में कार्यरत नियमित असिस्टेन्ट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसरों की ज्येष्ठता सूची कार्यलय ज्ञाप संख्या 199399, दिनांक 15 मार्च, 2024 एवं 199378, दिनांक 15 मार्च, 2024 उत्तराखण्ड सरकारी सेवक निमावली 2002 के नियम 8 तथा उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा निमयावली, 2014 के निरीक्षण आवश्यकीय है।	अवगत कराना है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 199378, दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर के पद हेतु निर्गत ज्येष्ठता सूची पोषक पद/संवर्ग असिस्टेन्ट प्रोफेसर की ज्येष्ठता सूची में दिए गए क्रम में निर्धारित की गई है। कार्यालय ज्ञाप संख्या 199378, दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर के पद हेतु निर्गत ज्येष्ठता सूची वर्ष 2019 में उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा सूची चयनित अभ्यर्थियों में प्रवीणता के आधार पर निर्धारित की गयी है।
7.	डॉ0 अजय विक्रम सिंह, एनेस्थिसियोलॉजी (अनन्तिम ज्येष्ठता क्रमांक 37)	**(1)** जारी की गयी अलग अलग विषयों/विभागों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठता का आधार नियुक्ति की तिथि को माना गया है। जबकि एक ही विषय/विभाग के सदस्यों की ज्येष्ठता सूची नियमावली 2002 के प्रस्तर–8(2) (5) के अनुसार आयोग की परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर निर्गत मैरिट लिस्ट को माना जाता है। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में ज्येष्ठता के लिए अलग–अलग आधार माना जा रहा है जो कि न्यायसंगत, तार्किक एवं उचित नहीं है तथा अनुरोध किया गया है कि एक चयन के फलस्वरूप अलग अलग विषयों में चयनित प्रोफेसरो की संयुक्त ज्येष्ठता सूची का आधार परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्तांकों को बनाया जाना न्यायसंगत एवं पारदर्शी होगा। जैसा कि एक ही विषय/विभाग के लिए चयनित कार्मिकों की विभाग में ज्येष्ठता आयोग द्वारा उनके प्राप्तांकों के आधार पर निर्गत की गयी मैरिट लिस्ट से निर्धारित की जाती है।	वर्ष 2020 के उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परीणाम/श्रेष्ठता सूची में एनेस्थिसियोलॉजी विभाग हेतु चयनित अभ्यर्थियों में क्रमांक 01 पर डॉ0 गौरव चौपड़ा का नाम तथा क्रमांक 02 पर डॉ0 अजय विक्रम सिंह का नाम अंकित है। चयन आयोग द्वारा निर्धारित मेरिट से जिस स्थान पर है उन्हें उसी क्रम में रखा गया है ना कि उक्त क्रमांक को अवक्रमित किया गया है। 25 विभागों की एक वरिष्ठता सूची बनाये जाने पर उन्हे चक्रानुक्रम में वरिष्ठता क्रमांक 37 पर रखा गया है। क्रमांक–21 से 37 तक सीधी भर्ती के प्रोफेसर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित हैं। प्रोफेसरों के विभागवार वरिष्ठता का आधार बोर्ड की प्रवीणता सूची तथा उनकी जन्मतिथि को आधार मानते हुए प्रथम चक्र में प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है तथा जिन विभागों में एक से अधिक कार्मिकों का चयन हुआ है उनकी वरिष्ठता पुनः दूसरे चरण में इसी आधार पर निर्धारित की गयी है। साथ ही सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा स्वयं का वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा, का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती

		(1) ज्येष्ठता नियमावली, 2002 में नियुक्ति तिथि के आधार पर वरिष्ठता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रार्थी के नियुक्ति पत्र में भी नियुक्ति हेतु दो सप्ताह का समय दिया गया था तथा कहीं यह उल्लिखित नहीं था कि पहले नियुक्ति लेने वालों को वरिष्ठ माना जायेगा। अतः किस नियमावली के आधार पर नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता को निर्धारित किया जा रहा है?	क्रमांक–21 से 37 तक सीधी भर्ती के प्रोफेसर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित प्रोफेसरों के नाम अंकित हैं। प्रोफेसरों के विभागवार वरिष्ठता का आधार आयोग की प्रवीणता सूची तथा उनकी जन्मतिथि को आधार मानते हुए प्रथम चक्र में प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है तथा जिन विभागों में एक से अधिक कार्मिकों का चयन हुआ है उनतके शेष की वरिष्ठता पुनः दूसरे चरण में इसी आधार पर निर्धारित की गयी है। साथ ही सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा स्वयं का वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा, का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
8.	डॉ0 सजय गौड़ (अनन्तिम ज्येष्ठता क्रमांक 38)	(1) शा0 के कार्यालय ज्ञाप में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम 24 एवं ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली, 2003 के नियम 8(1) तथा नियम 8(2)(क) में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लेख किया गया है तथा उत्तराखण्ड ज्येष्ठता नियमावली 2002 वर्ष प्रख्यापित हो गई थी तथा उक्त की संशोधित नियमावली अर्थात उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (संशोधित) नियमावली, 2024 में प्रख्यापित की जा चुकी है।	वर्ष 2020 के उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परीणाम/श्रेष्ठता सूची में फर्माकोलॉजी विभाग हेतु चयनित अभ्यर्थियों में क्रमांक 01 पर डॉ0 संजय गौड़ का नाम अंकित है। चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित मेरिट से जिस स्थान पर है उन्हें उसी क्रम में रखा गया है ना कि उक्त क्रमांक को अवक्रमित किया गया है। 25 विभागों की एक वरिष्ठता सूची बनाये जाने पर उन्हे चक्रानुक्रम में वरिष्ठता क्रमांक 38 पर रखा गया है। क्रमांक–21 से 40 तक सीधी भर्ती के प्रोफेसर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित प्रोफेसरों के नाम अंकित हैं। प्रोफेसरों के विभागवार वरिष्ठता का आधार बोर्ड की प्रवीणता सूची तथा उनकी जन्मतिथि को आधार मानते हुए प्रथम चक्र में प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है तथा जिन विभागों में एक से अधिक कार्मिकों का चयन हुआ है उनमें शेष की वरिष्ठता पुनः दूसरे चरण में इसी आधार पर निर्धारित की गयी है। इसी आधार पर फर्माकोलॉजी विभाग के डॉ0 संजय गौड़ को ज्येष्ठता क्रमांक 38 पर रखा गया है। साथ ही सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा स्वयं का वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा, का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
		(2) उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (संशोधित नियमावल, 2024 नियम 4 (झ) के अनुसार वर्ष/चयन वर्ष का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ	उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (संशोधित नियमावली, 2024 नियम 4 (झ) के अनुसार वर्ष/चयन वर्ष का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है, उक्त नियम 4

		होने वाली बारह मास की अवधि से है। परिचालित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्र0स0 21 से 39 तक वर्णित संकाय सदस्य एक ही चयन वर्ष तथा एक ही परीक्षा परिणाम से चयनित होकर नियुक्त हुये है तद्ननुसार क्र0स0 36 पर वर्णन आपत्तिजनक है।	(झ) का की गई आपत्ति से कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं हो रहा है। क्रमांक–21 से 37 तक सीधी भर्ती के प्रोफेसर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित हैं। प्रोफेसरों के विभागवार वरिष्ठता का आधार आयोग की प्रवीणता सूची तथा उनकी जन्मतिथि को आधार मानते हुए प्रथम चक्र में प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है तथा जिन विभागों में एक से अधिक कार्मिकों का चयन हुआ है उनकी वरिष्ठता पुनः दूसरे चरण में इसी आधार पर निर्धारित की गयी है। साथ ही उनके द्वारा स्वयं के वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया हैं तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
		(3) कार्यालय ज्ञाप उत्तराखण्ड शासन के अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण हेतु उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम 24 का उल्लेख किया गया है। नियम 24(1) में उल्लेखित है परन्तु यह कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाये तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 17 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये। नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हों। नियम 17 चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया है। नियम–24 (2) में स्पष्टतः उल्लिखित है कि किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जैसा आयोग द्वारा आधारित की जाए।	क्रमांक–21 से 37 तक सीधी भर्ती के प्रोफेसर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित हैं। प्रोफेसरों के विभागवार वरिष्ठता का आधार आयोग की प्रवीणता सूची तथा उनकी जन्मतिथि को आधार मानते हुए प्रथम चक्र में प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है तथा जिन विभागों में एक से अधिक कार्मिकों का चयन हुआ है उनकी वरिष्ठता पुनः दूसरे चरण में इसी आधार पर निर्धारित की गयी है, साथ ही सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा स्वयं का वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा? का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।
		(4) उत्तराखण्ड ज्येष्ठता (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 8 उपनियम (2) में स्पष्टतः वर्णित है किसी एक चयन वर्ष में चयन के परिणामस्वरूप (क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो चयन बोर्ड द्वारा योग्यता सूची के अवलोकन उपरान्त स्पष्ट होता है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची उपरोक्त (बिन्दु संख्या 3 एवं 4) के अनुसार नहीं है एवं आपत्ति है।	सीधी भर्ती के प्रोफेसर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित हैं। चिकित्सा चयन बोर्ड के द्वारा नियत क्रमांक के अनुसार ही प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है। साथ ही सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा स्वयं का वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा? का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।

		(5) उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप द्वारा परिचालित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के बिन्दु संख्या 2 में क्र0सं0 21 से 40 तक की उल्लेखित संकाय सदस्यों की ज्येष्ठता का निर्धारण कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तथा जन्मदिन के आधार पर किया गया है। उक्त ज्येष्ठता निर्धारण व्यवस्थाका उल्लेख उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2014, उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (संशोधन) नियमावली, 2024 में नही है।	क्रमांक–21 से 37 तक सीधी भर्ती के प्रोफेसर चिकित्सा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित हैं। प्रोफेसरों के विभागवार वरिष्ठता का आधार आयोग की प्रवीणता सूची तथा उनकी जन्मतिथि को आधार मानते हुए प्रथम चक्र में प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए चक्रानुक्रम में वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है तथा जिन विभागों में एक से अधिक कार्मिकों का चयन हुआ है उनकी वरिष्ठता पुनः दूसरे चरण में इसी आधार पर निर्धारित की गयी है। साथ ही सम्बन्धित संकाय सदस्य द्वारा स्वयं का वरिष्ठता क्रमांक कौन सा होगा? का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि वे स्वयं की वरिष्ठता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में हैं। अतः उनकी आपत्ति को ग्राहय नहीं किया गया है तथा उक्तानुसार आपत्ति निरस्तारित की जाती है।
		(6) उत्तराखण्ड शासन द्वारा पूर्व में जारी राजकीय मेडिकल में कार्यरत नियमित असिस्टेन्ट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसरों की ज्येष्ठता सूची कार्यलय ज्ञाप संख्या 199399, दिनांक 15 मार्च, 2024 एवं 199378, दिनांक 15 मार्च, 2024 उत्तराखण्ड सरकारी सेवक निमावली 2002 के नियम 8 तथा उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा निमयावली, 2014 के निरीक्षण आवश्यकीय है।	अवगत कराना है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 199378, दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर के पद हेतु निर्गत ज्येष्ठता सूची पोषक पद/संवर्ग असिस्टेन्ट प्रोफेसर की ज्येष्ठता सूची में दिए गए क्रम में निर्धारित की गई है। कार्यालय ज्ञाप संख्या 199378, दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर के पद हेतु निर्गत ज्येष्ठता सूची वर्ष 2019 में उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा सूची चयनित अभ्यर्थियों में प्रवीणता के आधार पर निर्धारित की गयी है।

3 – ज्येष्ठता क्रमांक 01 से 20 तक के प्रोफसरों, जो पदोन्नति कोटे के हैं, की ज्येष्ठता को शासनादेश संख्या 1278 दिनांक 16.10.2017 के माध्यम से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर निर्गत उनकी ज्येष्ठता सूची के अनुसार ही यथावत् रखा गया है तथा ज्येष्ठता क्रमांक 21 से 40 तक पर अंकित प्रोफेसर राजकीय मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित है एवं उनकी ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–8 तथा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम–24 में उल्लिखित प्राविधानों के आधार पर अन्तिम रूप से पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट–क के अनुसार निर्गत की जाती है।

Signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 12-02-2025 16:31:54

(डॉ० आर राजेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 275068 /xxviii(5)/2025(e- 63451) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. - निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
2. - समस्त प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. - समस्त प्रोफेसर, राजकीय मेडिकल कॉलेज।

4. - गार्डफाईल।

संख्या– 275068 XXVIII(5)/2025(e- 63451) का परिशिष्ट–क

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नियमित रूप से कार्यरत प्रोफेसरों (वेतनमान 144200–218200, (लेवल–15 'क') की अन्तिम ज्येष्ठता सूची।

तालिका–क

ज्येष्ठता क्रमांक संख्या	नाम	विभाग का नाम	श्रेणी	वर्तमान तैनाती	जन्मतिथि	नियुक्ति की तिथि	प्रोफेसर के पद पर योगदान की तिथि	भर्ती का स्त्रोत	अभ्युक्ति
1	डॉ0 अरूण जोशी,	General Medicine	सामा न्य	रा0मे0कॉ हल्द्वानी।	14.08. 1960	31.10. 2017	01.11. 2017	पदोन्नति	शासनादेश संख्या 1278 दिनांक 16. 10.2017 के माध्यम से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर निर्गत ज्येष्ठता सूची के अनुसार ही यथावत्।
2	डॉ0 अजय कुमार आर्या,	Pediatrics	अनु सूचित जाति	रा0मे0कॉ अल्मोड़ा।	05.04. 1968	25.10. 2018	25.10. 2018	तदैव	तदैव
3	डॉ0 गीता जैन,	Obs & Gynac	सामान्य	रा0मे0कॉ देहरादून।	08.08. 1968	01.11. 2017	01.11. 2017	तदैव	तदैव
4	डॉ0 बिनय कुमार,	Pathology	सामान्य	रा0मे0कॉ अल्मोड़ा।	15.05. 1963	25.10. 2017	31.10. 2017	तदैव	तदैव
5	डॉ0 चन्द्र प्रकाश,	Forensic	सामान्य	रा0मे0कॉ अल्मोड़ा।	01.06. 1966	31.10. 2017	01.11. 2017	तदैव	तदैव
6	डॉ0 चन्द्रमोहन सिंह रावत,	Community Medicine	सामान्य	रा0मे0कॉश्रीनगर।	10.12. 1962	31.10. 2017	01.11. 2017	तदैव	तदैव
7	डॉ0 जी0एस0 तितियाल,	Ophtalmology	अनु0 जन जाति	रा0मे0कॉ हल्द्वानी।	01.07. 1970	31.10. 2017	01.11. 2017	तदैव	तदैव
8	डॉ0 अरविन्द कुमार सिंह,	Anatomy	सामान्य	रा0मे0कॉ अल्मोड़ा।	01.01. 1969	01.11. 2017	01.11. 2017	तदैव	तदैव
9	डॉ0 आशुतोष सयाना,	General surgery	सामान्य	रा0मे0कॉ देहरादून।	14.11. 1969	01.11. 2017	01.11. 2017	तदैव	तदैव

10	डॉ0 नवीन चन्द्र थपलियाल,	Pathology	सामान्य	रा0मे0कॉ देहरादून।	01.01. 1969	31.10. 2017	25.10. 2018	तदैव	तदैव
11	डॉ0 ऊषा रावत,	Obs & Gynae	अनु0 जन जाति	रा0मे0कॉअल्मोड़ा।	12.07. 1969	01.11. 2017	01.11. 2017	तदैव	तदैव
12	डॉ0 पंकज सिंह,	Orthopedics	सामान्य	रा0मे0कॉ हल्द्वानी।	18.03. 1971	31.10. 2017	25.10. 2018	तदैव	तदैव
13	डॉ0 भावना श्रीवास्तव,	Pharmacology	सामान्य	रा0मे0कॉ हल्द्वानी।	16.10. 1968	31.10. 2017	25.10. 2018	तदैव	तदैव
14	डॉ0 राम गोपाल नौटियाल,	T.B & Chest	सामान्य	रा0मे0कॉ हल्द्वानी।	15.02. 1968	31.10. 2017	02.11. 2017	तदैव	तदैव
15	डॉ0 विरेन्द्र कुमार द्विवेदी,	Physiology	सामान्य	रा0मे0कॉ अल्मोड़ा।	30.10. 1972	25.10. 2018	25.10. 2018	तदैव	तदैव
16	डॉ0 उर्मिला पलड़िया,	Anesthesiology	सामान्य	रा0मे0कॉ अल्मोड़ा।	07.06. 1972	25.10. 2018	25.10. 2018	तदैव	तदैव
17	डॉ0 सौरभ अग्रवाल,	Skin & B.D.	सामान्य	रा0मे0कॉ हल्द्वानी।	26.08. 1977	25.10. 2018	25.10. 2018	तदैव	तदैव
18	डॉ0 गीता भण्डारी,	Anesthesiology	सामान्य	रा0मे0कॉ हल्द्वानी।	26.06. 1974	25.10. 2018	25.10. 2018	तदैव	तदैव
19	डॉ0 के0एस0 शाही,	General surgery	सामान्य	रा0मे0कॉ रूद्रपुर	25.03. 1971	25.10. 2018	25.10. 2018	तदैव	तदैव
20	डॉ0 उमेश,	Microbiology	सामान्य	रा0मे0कॉ हल्द्वानी।	28.09. 1971	25.10. 2018	25.10. 2018	तदैव	तदैव
21	डॉ0 जे0 बी0 गोगई	Biochemistry	सामान्य	रा0मे0कॉ0 अल्मोड़ा।	02-08-1973	08-12-2020	09-12-2020	सीधी भर्ती	चिकित्सा चयन बोर्ड के सीधी भर्ती के पत्र संख्या उ0ख0चि0से0च0बो0/परी0(प्रो0/एसो0प्रो0/अ0प्रो0)/80(2)/2019–20/531, दिनांक 12 नवम्बर, 2020 के माध्यम से चयनित कार्मिक
22	डॉ0 अनुराग अग्रवाल	T.B & Chest	सामान्य	रा0मे0कॉ0 देहरादून।	12-08-1973	08-12-2020	09-12-2020	सीधी भर्ती	तदैव
23	डॉ0 अनिल जोशी	Orthopedics	सामान्य	रा0मे0कॉ0 देहरादून।	11-05-1975	08-12-2020	09-12-2020	सीधी भर्ती	तदैव
24	डॉ0 चित्रा जोशी	Obs & Gynae	सामान्य	रा0मे0कॉ0 देहरादून।	09-12-1976	08-12-2020	09-12-2020	सीधी भर्ती	तदैव

25	डॉ0 महेन्द्र कुमार पन्त	Anatomy	सामान्य	रा0मे0कॉ0 देहरादून।	27-01-1978	08-12-2020	09-12-2020	सीधी भर्ती	तदैव
26	डॉ0 रविन्द्र सिंह बिष्ट	E.N.T	सामान्य	रा0मे0कॉ0 श्रीनगर।	27-11-1978	08-12-2020	09-12-2020	सीधी भर्ती	तदैव
27	डॉ0 कलम सिंह बुटोला	General Medicine	सामान्य	रा0मे0कॉ0 श्रीनगर।	07-06-1980	08-12-2020	09-12-2020	सीधी भर्ती	तदैव
28	डॉ0 साधना अवस्थी	Community Medicine	सामान्य	रा0मे0कॉ0 हल्द्वानी।	18-10-1972	08-12-2020	10-12-2020	सीधी भर्ती	तदैव
29	डॉ0 हरिशंकर पाण्डेय	Pathology	सामान्य	रा0मे0कॉ0 हल्द्वानी।	11-07-1980	08-12-2020	10-12-2020	सीधी भर्ती	तदैव
30	डॉ0 गौरव चौपड़ा	Anesthesiology	सामान्य	रा0मे0कॉ0 देहरादून।	22-12-1971	08-12-2020	11-12-2020	सीधी भर्ती	तदैव
31	डॉ0 ए0एन0 सिन्हा	Physiology	सामान्य	रा0मे0कॉ0 देहरादून।	16-09-1973	08-12-2020	15-12-2020	सीधी भर्ती	तदैव
32	डॉ0 सुषमान दास गुप्ता	Ophtalmology	सामान्य	रा0मे0कॉ0 अल्मोड़ा।	23-11-1974	08-12-2020	19-12-2020	सीधी भर्ती	तदैव
33	डॉ0 दीपक डीमरी	Dermatology	सामान्य	रा0मे0कॉ0 श्रीनगर।	01-06-1971	08-12-2020	23-12-2020	सीधी भर्ती	तदैव
34	डॉ0 नवज्योति बोरा	Obs & Gyna e	सामान्य	रा0मे0कॉ0 श्रीनगर।	07-11-1972	08-12-2020	09-12-2020	सीधी भर्ती	तदैव
35	डॉ0 दया कृष्ण	Orthopedics	अनु0जाति	रा0मे0कॉ0 श्रीनगर।	01-01-1973	08-12-2020	09-12-2020	सीधी भर्ती	तदैव
36	डॉ0 भावना पन्त	E.N.T	सामान्य	रा0मे0कॉ0 देहरादून।	30-06-1975	08-12-2020	09-12-2020	सीधी भर्ती	तदैव
37	डॉ0 अजय विक्रम सिंह	Anesthesiology	सामान्य	रा0मे0कॉ0 श्रीनगर।	03-08-1975	08-12-2020	09-12-2020	सीधी भर्ती	तदैव
38	डॉ0 संजय गौड़	Pharmacology	सामान्य	रा0मे0का देहरादून।	04.09.1975	29-04-2021	29.04.2021	सीधी भर्ती	
39	डॉ0 रंगील सिंह रैना	Pharmacology	सामान्य	रा0मे0कॉ हरिद्वार।	31.05.1972	29-04-2021	29.04.2021	सीधी भर्ती	
40	डॉ0 राजीव कुमार	General surgery	सामान्य	रा0मे0का हल्द्वानी।	05.01.1979	20-07-2021	22.07.2021	सीधी भर्ती	

सिंह